

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 मार्च 2024—फाल्गुन 23, शक 1945

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्रमांक 1/1/0095/2021-ESTB-FWAD:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि(अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

- (1) अनुसूची- एक में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं।
- (2) अनुसूची- दो में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं।
- (3) अनुसूची- तीन में, कॉलम (2) में, अनुक्रमांक 4 के सामने, शब्द "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं।
- (4) अनुसूची- चार में, कॉलम (2) में, शब्द "ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी" जहां कहीं भी वे आए हो, के स्थान पर, शब्द "कृषि विस्तार अधिकारी" स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2024

क्र. 1-1-0095-2021-ESTB-FWAD.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-1-0095-2021-ESTB-FWAD, दिनांक 13 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.

Bhopal, the 13th March 2024

No. 1/1/0095/2021-ESTB-FWAD:—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Subordinate Agriculture (Non-Ministerial) Services Recruitment Rules, 1972, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,

- (1) In Schedule-I, in Column(2), against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer", wherever they occur, the words "Agriculture Extension Officer" shall be substituted.
- (2) In Schedule-II, in Column(2), against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer", wherever they occur, the words "Agriculture Extension Officer" shall be substituted,
- (3) In Schedule-III, in Column(2), against serial number 4, for the words "Rural Agriculture Extension Officer", wherever they occur, the words "Agriculture Extension Officer" shall be substituted,
- (4) In Schedule-IV, in Column(2), for the words "Rural Agriculture Extension Officer", wherever they occur, the words "Agriculture Extension Officer" shall be substituted,

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN BHATNAGAR, Dy. Secy.

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची - एक

(नियम 5 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण श्रेणी-3 कार्यपालिक सेवा	वेतनमान	अभ्युक्ति
(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
1	2	3	4	5	6
4	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	6371	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	—	—	5200-20200 + 2100	भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची - एक

(नियम 5 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण श्रेणी-3 कार्यपालिक सेवा	वेतनमान	अभ्युक्ति
(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
1	2	3	4	5	6
4	कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	6371	तृतीय श्रेणी	5200-20200 + 2400	
	कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	—	—	5200-20200 + 2100	भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

वर्तमान प्रावधान

अनुसूची - दो

(नियम 6 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक	पदों के नाम (वर्तमान में कार्यरत)	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा (नियम 6 (क) देखिए)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण (नियम 6 (ग) देखिए)	
1	2	3	4	5	6	7
4	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	6371	100 प्रतिशत	—	निरंक	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)		—	—	निरंक	

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची - दो

(नियम 6 देखिये)

(सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों के नाम)

अनुक्रमांक	पदों के नाम (वर्तमान में कार्यरत)	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भरती द्वारा (नियम 6 (क) देखिए)	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से व्यक्ति के स्थानांतरण (नियम 6 (ग) देखिए)	
1	2	3	4	5	6	7
4	कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	6371	100 प्रतिशत	—	निरंक	
	कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)		—	—	निरंक	

वर्तमान प्रावधान
अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	वांछनीय शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
4	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	21 वर्ष	40 वर्ष	कृषि या उद्यानिकी में स्नातक	
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	—	—		भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान
अनुसूची - तीन
(नियम 8 देखिये)

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	वांछनीय शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
(एक)- क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
4	कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	21 वर्ष	40 वर्ष	कृषि या उद्यानिकी में स्नातक	
	कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	—	—		भविष्य में इस वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी।

वर्तमान प्रावधान
अनुसूची - चार
(नियम 13 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आवश्यक अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
	कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष	संचालनालय स्तर- 1. संचालक, कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अपर संचालक-अध्यक्ष 2. विषय से संबंधित एक या दो अधिकारी-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य 4. स्थापना से संबंधित अधिकारी-सदस्य सचिव		
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष			
	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	तदैव	5 वर्ष			
	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी अनुरेखक	तदैव नकशानवीस (डापटसमेन)	5 वर्ष 5 वर्ष			
	सांख्यिकी	आर्थिक अन्वेषक/निर्धारक निरीक्षक/संगणक/अन्वेषक विविध सूचना	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष		संभागीय स्तर
		कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	सहायक कृषि सूचना अधिकारी/तकनीकी सहायक	5 वर्ष		1. संयुक्त संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी -अध्यक्ष 2. सहायक संचालक (स्थापना एवं लेखा) - सदस्य
	कलाकार/फोटोग्राफर	कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	5 वर्ष	3. संचालक, संचालनालय कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति -सदस्य 4. संयुक्त संचालक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी -सदस्य		

प्रस्तावित संशोधन प्रावधान

अनुसूची - चार

(नियम 13 देखिये)

मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिकवर्गीय) सेवा

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आवश्यक अर्हता	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम	अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	क्षेत्र विस्तार तथा भूमि संरक्षण					
	कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष	संचालनालय स्तर- 1. संचालक, कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अपर संचालक-अध्यक्ष 2. विषय से संबंधित एक या दो अधिकारी-सदस्य 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी-सदस्य 4. स्थापना से संबंधित अधिकारी-सदस्य सचिव		
	कृषि विस्तार अधिकारी (स्नातक)	कृषि विकास अधिकारी	5 वर्ष			
	कृषि विस्तार अधिकारी (गैर स्नातक)	तदैव	5 वर्ष			
	भूमि संरक्षण सर्वे अधिकारी अनुरेखक	तदैव नक्शानवीस (डापटसमेन)	5 वर्ष 5 वर्ष			
	सांख्यिकी	आर्थिक अन्वेषक/निर्धारक निरीक्षक/संगणक/अन्वेषक विविध सूचना	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष		संभागीय स्तर 1. संयुक्त संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी अधिकारी -अध्यक्ष 2. सहायक संचालक (स्थापना एवं लेखा) - सदस्य 3. संचालक, संचालनालय कृषि द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति -सदस्य 4. संयुक्त संचालक द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी -सदस्य
		कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	सहायक कृषि सूचना अधिकारी/तकनीकी सहायक	5 वर्ष		
		कलाकार/फोटोग्राफर	कृषि विकास अधिकारी (प्रकाशन तथा सूचना)	5 वर्ष		